

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6004/चयन/2019-20 दिनांक-19.06.2019 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2019-20 में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित निम्नांकित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र सं	स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	वरिष्ठता सूची में अंकित जिला/मण्डल का नाम	चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान	जिला	
1	1442	4	2008-09	SHARWAN KUMAR JAT	राउमावि मालाकाली श्रीमाधोपुर, सीकर	SIKAR	05.03.1971	SIKAR	2019-20	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCH., GOVINDPURA, KHANDELA (0813060860)	SIKAR

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक-..... तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक .. 05/08/19 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 06/08/19 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा इनका पदोन्नति से परित्याग मान लिया जायेगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

नोट :- वरिष्ठता सूची में इनकी जन्मतिथि एवं पिता का नाम सही अंकित नहीं होने के कारण पूर्व में इनका पदस्थापन नहीं किया गया था। अब आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा वरिष्ठता सूची में संशोधन उपरान्त पदस्थापन आदेश उपरोक्तानुसार जारी किये जाते है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/डीपीसी/पदस्थापन/2019-20

दिनांक- 30/07/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

- शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
- संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान
- सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क. स.	नाम व्या. मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विषय	जन्म तिथि	व्या. में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि/एसीपी गणना हेतु नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जगदीश सिंह माण्डावास पाली	अंग्रेजी	10.10.1973	DPC	06.11.1997	II 20 वर्ष	—	एल-13	06.11.2017
2	शैतान सिंह सान्दू स्वामी विवेकानन्द मॉ. स्कूल सुमेरपुर पाली	अंग्रेजी	13.07.1978	RPSC	23.12.2006	I 10 वर्ष	9300-34800	5400	23.12.2016
3	सुमित्रा पारीक बा. सुवाणा भीलवाड़ा	अंग्रेजी	07.05.1962	DPC	11.07.1987	II 20 वर्ष	9300-34800	4800	11.07.2007
4	आशा गुप्ता बा. मालवीय नगर जयपुर	अंग्रेजी	01.09.1966	RPSC	16.05.1991	II 20 वर्ष	9300-34800	5400	16.05.2011
5	निधि भटनागर बड़गांव उदयपुर	अंग्रेजी	01.01.1963	RVR ES	23.12.1997	II 20 वर्ष	—	एल-14	23.12.2017
6	मीनाक्षी शुक्ला बा. मावली उदयपुर	अंग्रेजी	07.07.1963	RVR ES	08.08.1997	II 20 वर्ष	15600-39100	6000	08.08.2017
7	ज्योति सेतिया नथुसर गेट बीकानेर	अंग्रेजी	03.12.1977	RPSC	02.01.2007	I 10 वर्ष	9300-34800	5400	02.01.2017
8	सरोज गर्ग बछामदी सेवर भरतपुर	संस्कृत	09.05.1963	DPC	01.07.1987	III 30 वर्ष	15600-39100	6000	01.07.2017
9	महेश चन्द्र शास्त्री लालसोट दौसा	संस्कृत	20.03.1971	DPC	01.07.1998	20 वर्ष	—	एल-13	01.07.2018

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जाएं। आर वी आर ई एस कार्मिकों को निर्देशानुसार दिनांक 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक :- 30/07/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

C-1 Acp Eng


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)